

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3842] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 27, 2019/अग्रहायण 6, 1941

No. 3842] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 27, 2019/AGRAHAYANA 6, 1941

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2019

का.आ. 4273(अ).—जबिक, यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम (यूएलएफए) और इसके विभिन्न गुटों, स्कंधों और अग्रणी संगठनों (इसमें इसके पश्चात इसे यूएलएफए कहा गया है) ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य सशस्त्र अलगाववादी संगठनों के सहयोग से सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से अपने उद्देश्य अर्थात असम को भारत संघ से ''स्वतंत्र'' कराने की घोषणा की है'';

और जबिक केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि यूएलएफए :-

- (i) असम को स्वतंत्र कराने के अपने उद्देश्यों को बढ़ाने में भारत की संप्रभुता और प्रादेशिक अखंडता को भंग करने के इरादे से विभिन्न विधिविरुद्ध और हिंसक क्रियाकलापों में संलिप्त रहा है;
- (ii) असम को भारत से अलग करने के लिए यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य विधिविरुद्ध संघों से मिला हुआ है;
- (iii) अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुसरण में, एक विधिविरुद्ध संघ के रूप में इसे घोषित किए जाने के प्रचार-प्रसार के दौरान यह कई विधिविरुद्ध और हिंसक क्रियाकलापों से जुड़ा रहा है।

और जबिक, केन्द्रीय सरकार की आगे यह भी राय है कि जिन विधिविरुद्ध तथा हिंसक क्रियाकलापों के लिए यूएलएफए को उत्तरदायी ठहराया गया है, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं –

- (i) 1 जनवरी, 2015 से 31 जुलाई, 2019 तक की अवधि के दौरान या तो व्यक्तिगत रूप से या पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य विद्रोही समूहों के सहयोग से लगभग सत्तर हिंसक घटनाएं;
- (ii) 1 जनवरी, 2015 से 31 जुलाई, 2019 तक की अवधि के दौरान बत्तीस व्यक्तियों की हत्या, जिसमें पच्चीस आम नागरिक तथा सात सुरक्षा बलों के जवान शामिल हैं;
- (iii) 1 जनवरी, 2015 से 31 जुलाई, 2019 तक की अवधि के दौरान छह व्यक्तियों का अपहरण;
- (iv) इसके काडरों से अप्राधिकृत गोलाबारूद बरामदगी के सैतालीस मामले;

6127 GI/2019 (1)

- (v) फिरौती के लिए अपहरण के कृत्यों के अलावा लोगों से जबरन धन वसूली, अलगाववादी क्रियाकलापों और निर्दोष व्यक्तियों के जीवन को जोखिम में डालने में संलिप्त होना:
- (vi) सुरक्षा बलों के संस्थानों और उनके कार्मिकों, राजनीतिक नेताओं, रेलवे और तेल प्रतिष्ठानों को लक्ष्य बनाकर इसके काडरों से कृत्य कराने के लिए अनुदेश देना;
- (vii) पड़ोसी देशों में आश्रयों और प्रशिक्षण शिविरों की स्थापना करना;
- (viii) अपनी हिंसक तथा विद्रोही कार्यकलापों को जारी रखते हुए, नए काडरों की भर्ती हेतु चरणबद्ध तरीके से अभियान शुरू करके अपने संगठनात्मक नेटवर्क की निचले स्तर पर पुन: संरचना पर बल देना;

और जबिक, उपर्युक्त कारणों के निमित्त, केन्द्रीय सरकार की यह भी राय है कि यूएलएफए के क्रियाकलाप भारत की संप्रभृता तथा देश की एकता और अखंडता के लिए हानिकारक है और जिसकी वजह से यह एक विधिविरुद्ध संघ है;

और जबिक, यदि यूएलएफए के विधिविरुद्ध क्रियाकलापों पर तत्काल प्रतिबंध और नियंत्रण नहीं लगाया जाता है तो निम्नलिखित खामियाजा उठाना पड़ सकता है –

- (i) अपने अलगाववादी, घ्वंसात्मक तथा हिंसक क्रियाकलापों को बढ़ाने के लिए अपने काडरों को एकत्र करना;
- (ii) भारत की संप्रभुता तथा राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए विरोधी ताकतों के साथ सांठगांठ करके खुलेआम राष्ट्र विरोधी क्रियाकलाप का प्रचार-प्रसार;
- (iii) आम नागरिकों की हत्या में संलिप्त होना तथा पुलिस और सुरक्षा बल के कार्मिकों को निशाना बनाना;
- (iv) सीमावर्ती क्षेत्रों से अधिक से अधिक विधिविरुद्ध गोलाबारूद की खरीद करना तथा प्रवेश कराना;
- (v) अपने विधिविरुद्ध कार्यकलापों के लिए लोगों से जबरन धन उगाही करना तथा फंड और अवैध कर की वसूली करना;

अत: अब, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम (यूएलएफए) तथा इसके सभी गुटों, स्कंधों और फ्रंट संघों को विधिविरुद्ध संघ के रूप में घोषित करती है;

यूएलएफए के उपर्युक्त क्रियाकलापों को ध्यान में रखते हुए तथा हाल ही के विगत में पुलिस, सशस्त्र बलों और आम नागरिकों के विरुद्ध यूएलएफए द्वारा की गई लगातार तथा सिलसिले-वार हिंसा की बढ़ती हुई घटनाओं से निपटने के लिए केन्द्रीय सरकार की यह भी राय है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है जिनकी वजह से यूएलएफए को तत्काल प्रभाव से एक 'विधिविरुद्ध संघ' घोषित करना आवश्यक है और तदनुसार, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि यह अधिसूचना किसी ऐसे आदेश जो उक्त अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत बनाए जा सकेंगे, के अध्यधीन सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 11011/3/2019-एन.ई.V]

सत्येन्द्र गर्ग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 2019

S.O. 4273(E).—Whereas, the United Liberation Front of Asom and its various factions, wings and fronts (hereinafter referred to as the ULFA) has professed its aim namely, the "Liberation" of Assam from the Indian Union through an armed struggle in alliance with other armed secessionist organisations of the North East Region";

And Whereas, the Central Government is of the opinion that ULFA has-

(i) indulged in various illegal and violent activities intended to disrupt the sovereignty and territorial integrity of India in furtherance of its objective of liberating Assam;

- (ii) aligned itself with other unlawful associations of North Eastern Region to secede Assam from India:
- (iii) in pursuance of its aims and objectives, engaged in several unlawful and violent activities during the currency of its declaration as an unlawful association;

And Whereas, the Central Government is of further opinion that the unlawful and violent activities which are attributed to ULFA include -

- (i) about seventy incidents of violence, either individually or in alliance with other insurgent groups of North East Region, during the period from 1st January 2015 to 31st July 2019;
- (ii) killing of thirty-two persons, including twenty-five civilians and seven security forces personnel, during the period from 1st January, 2015 to 31st July 2019;
- (iii) kidnapping of six persons, during the period from 1st January, 2015 to 31^{s1} July 2019;
- (iv) forty- seven cases of recovery of unauthorised arms and ammunitions from its cadres;
- (v) indulging in a spate of extortions and secessionist activities, and endangering the lives of innocent citizens, in addition to acts of kidnappings for ransom;
- (vi) instructing its cadres to carry out acts by targeting the establishments of security forces and their personnel, political leaders, railways and oil installations;
- (vii) establishing sanctuaries and training camps in the neighboring countries; and
- (viii) embarking upon restructuring of its organisational network at the grass root level by launching a systematic drive for recruitment of fresh cadres while continuing its violent and insurgent activities;

And Whereas, for the reasons mentioned above, the Central Government is also of the opinion that the activities of ULFA are, detrimental to the sovereignty and integrity of India and that it is an unlawful association:

And Whereas, if there is no immediate curb and control of the unlawful activities of ULFA, it may take the opportunity to –

- (i) mobilise its cadres for escalating its secessionist, subversive and violent activities;
- (ii) openly propagate anti-national activities in collusion with forces inimical to India's sovereignty and national integrity;
- (iii) indulge in killings of civilians and targeting of police and security forces personnel;
- (iv) procure and induct more illegal arms and ammunitions from across the border;
- (v) extort and collect funds and illegal taxes from the public for its unlawful activities;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby declares the United Liberation Front of Asom (ULFA) along with all its factions, wings and front organisations as an unlawful association;

The Central Government, having regard to the activities of ULFA, mentioned above, and to meet the sustained and ever increasing violence committed by ULFA in the recent past against the police, the armed forces and the civilians, is of the opinion that circumstances exist which render it necessary to declare ULFA to be an unlawful association with immediate effect and accordingly, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of section 3 of the said Act, hereby directs that this notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No.11011/3/2019-NE-V] SATYENDRA GARG, Jt. Secy.

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.